न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 49/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00416

| अपीलांट :– | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| करणसिंह पुत्र पुखसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी धुरासनी, तहसील सोजत, जिला पाली | | 1. किशनसिंह पुत्र जसराजसिंह, जाति पुरोहित, निवासी धुरासनी, तहसील सोजत, जिला पाली<br>2. प्रहलादसिंह पुत्र जसराजसिंह जाति पुरोहित, निवासी धुरासनी, तहसील सोजत, जिला पाली<br>3. श्रीमान तहसीलदार साहब सोजत जिला पाली |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा
रेस्पोडेंटगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27/1/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनाँक 08.10.1997 जो न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकारण अनवान सरकार बनाम किशनसिंह व अन्य में पारित किया गया के विरूद्ध पेश की गई है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सोजत से पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गई एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनाँक 08.10.1997 को पारित करते हुए गांव धुरासनी के खसरा नम्बर 895 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से 500 वर्गगज निःशुल्क और 500 वर्गगज 0.25 पैसे प्रति वर्गफुट के हिसाब से बाड़ा नियमन करने के आदेश पारित किए उसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के धारा 91 के तहत दर्ज कर प्रकरण में रेस्पोडेंटगण को अतिक्रमी मानकर की गई तथा उक्त ाराजी का नियमन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अतिक्रमी के पक्ष में नही किया जा सकता है उक्त नियमन विधी विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार सोजत को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हक में नियमन करने का क्षेत्राधिकार नहीं था उन्होंने क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंटगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया न ही सबूत पेश किए गए है तथा न ही नियमन करने बाबत निवेदन ही किया गया इसके बावजूद भी रेस्पोडेंटगण के हक में नियमन कर दिया जो निरस्त योग्य है प्रस्तुत प्रकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अलावा नरपतसिंह मालमसिंह के विरूद्ध भी था लेकिन नियमन रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 के पक्ष में ही किया जो विधी विरूद्ध है। नियमन एक मात्र नायब तहसीलदार सोजत की शिफारीश के आधार पर किया गया है जो विधीसम्मत नहीं है। नायब तहसीलदार को शिफारिस करने का अधिकार ही नहीं है। नायब तहसीलदार ने परिपत्र प(17)राज. /ख/71 दिनाँक 03.07.1971 का हवाला देते हुए प्रेषित किया है। उक्त परिपत्र के तहत आसामी/कृषक, श्रमीक गांव के कारीगर, अनुसुचित जाति, जनजाति, के व्यक्ति जिसने 1955 के उपरांत 31.12.1970 के पूर्व मकान बनाये है तब ही नियमन पर विचार किया जा सकता है। रेस्पोडेंटगण उक्त परिधी में नहीं आते है। रेस्पोडेंट के पिता के नाम व प्रहलाद सिंह के नाम खातेदारी [illegible] है। ऐसी स्थिति में सरकारी भूमी का नियमन नहीं किया जा सकता है [illegible] भूमी का ही नियमन किया जा सकता है इस कारण भी अपील [illegible] योग्य है उक्त नियमन सुदा भूमी के चिपते ही रास्ते की भूमी है जिसका खसरा नम्बर 895 है। तरमीम [illegible] नक्शे को देखने से स्पष्ट है कि रास्ते की भूमी का नियमन कर दिया गया है [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है उक्त भूमी सार्वजनिक होने से सरकारी भवनों के उपयोग हेतु यह एक ही भूमी उपलब्ध होने से रेस्पोडेंट के हक में नियमन नहीं किया जाना था। जैर अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:45:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः..........2

जिला कलेक्टर, पाली

भूमी रास्ते की होने से इसकी अपील करने का अपीलांट को अधिकार है तथा उक्त भूमी पर निर्माण कार्य शुरू करने पर अपीलार्थी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उक्त भूमी रेस्पोडेंट के हक दिनांक में 02.02.2018 को नियमन की हुई है। तब अपीलार्थी को दिनांक 15.03.2018 को उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी पाली के न्यायालय में होने की जानकारी मिलने पर दिनांक 16.03.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने का आवेदन किया एवं दिनाँक 16.03.2018 को नकले प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत कर दी अपील जानकारी से अन्दर म्यान शुमार मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे। अधीवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 1977 RRD NUC पेज 28, 1994 RRD पेज 491, 1994 RRD पेज 1107, 1993 RRD पेज 506, 1986 RRD पेज 457, 1990 RRD पेज 479 तथा 2008 RRD पेज 804, एवं 1969 RRD पेज 454 पेश किए गए।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि तहसीलदार सोजत द्वारा दिनाँक 8.10.1997 को आदेश पारित किया जिसमें 500 वर्गगज निःशुल्क एवं 500 वर्गगज 25 पैसे के हिसाब से सशुल्क बाडा नियम किया गया न कि कृषि भूमी का नियमन किया गया था। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटगण द्वारा अपने पक्ष में खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रतियां वर्ष 2043 से लेकर 2052 तक की पेश की ई जो मातहत अदालत की पत्रावली 2043 से 2052 तक की पेश की गई जो मातहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है जिससे रेस्पोडेंटगण का पुराना कब्जा सिद्ध होने पर ग्राम धुरासनी केक खसरा नम्बर 895 में नायब तहसीलदार सोजत के उक्त रेकर्ड पेश होने पर उन्होंने नियमन करना तहसीलदार सोजत के क्षेत्राधिकार में होने से उनकों प्रेषित की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमी आरक्षित नहीं होने का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है जो मातहत अदालत की पत्रावली के संलग्न है रेस्पोडेंटगण के हक में जिस भूमी में बाड़ा नियमन किया गया वह ग्राम धुरासनी के खसरा नम्बर 895 में से 0.68 हैक्टेयर का नियमन किया गया है जिसकी किस्म बंजड़ है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में नहीं है। उक्त बाड़ा नियमन के बाद इसकी तरमीम हो चूकी है व उसके पृथक खसरा नम्बर 895/1 है। खसरा नम्बर 895 का कुल रकबा 5.10 हैक्टेयर था जिसमे से 0.08 हैक्टेयर का बाड़ा नियमन किया गया है शेष सभी 3.82 हैक्टेयर आज भी सिवायचक भूमी है व पड़ी है। तथा खसरा नम्बर 895/2 रकबा 1.20 हैक्टेयर स्कूल के नाम भूमी दर्ज है उकत सभी तरमीम सुदा है। उक्त अपील अपीलांट द्वारा 21 वर्षों बाद की गई है जिसमें अपीलांट व्यक्ति पक्षकार नहीं है न ही मातहत न्यायालय में ही अपीलांट पक्षकार था तो उसे अपील करने का भी अधिकार नहीं है अपीलांट द्वारा उक्त अपील जानकारी से अन्दर म्याद मानने का निवेदन जिन तथ्यों के आधार पर किया गए वे सभी झूठे है। इसी बाड़ा नियमन के विरूद्ध पूर्व में अपीलार्थी के पुत्र मानसिंह ने प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर के न्यायालय में पेश किया था जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से दिनाँक 05.02.2018 को खारिज किया गया इसकी प्रमाणित प्रति भी गिरधारीसिंह प्रार्थी के परिवार के व्यक्ति ने प्राप्त की थी प्रतिलिपी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न है क्रम संख्या 493 पर गिरधारी सिंह का नाम दर्ज है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी थी। ऐसे में अपील की जानकारी पूर्व में होते हुए देरीना पेश कर यह निवेदन करना कि अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे असत्य कथन होने से तथा अपील म्याद बाहर होने से भी निरस्त योग्य है। नियमन आदेश पुराने कब्जे के सबूत के आधार पर बंजड़ भूमी में से मात्र 0.08 हैक्टेयर भूमी का बाड़ा नियमन किया गया जिससे अपीलार्थी किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार भी नहीं [illegible] आपसी राजनैतिक रंजिशवश पेश की गई है इसलिए भी अपील खारिज [illegible] स्कूल के नाम खसरा नम्बर 895/2 और 895/1065 भूमी दर्ज है [illegible] की भी भूमी दर्ज है। स्कूल बनी हुई है व खेल मैदान [illegible] स्कूल व खेल मैदना सहित चार दिवारी भी बनी हुई है तथा इसी खसरा नम्बर 895 [illegible] तरमीम सुदा बाड़ा नियमन के व स्कूल भवन के अलावा सिवायचक भूमी उपलब्ध है जिसमे आवश्यकतानुसार सार्वजनिक उपयोग में लिया जा सकता है। बाड़ा नियमन सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय-समय

क्रमश..........3

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:46 IST
Reason: SelfAttested

पर जारी परिपत्र क्रमांक 9(6)राज–6/2000/2 दिनाँक 30.01.2006 के अनुसार तहसीलदार द्वारा किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट निरस्त फरमाने का निवेदन करते हुए उन्होंने परिपत्र व 6(17) राज./ख/71 जयपुर दिनांक 3.07.1971 राजस्व, (ग्रुप–4) विभाग के पत्र संख्या प. 6(17) राज. ख/71 पार्ट दिनाँक 9.02.76, संख्या F6(10) राज./ग्रुप–4/77 जयपुर दिनाँक 23.04. 1977 एवं परिपत्र क्रमांक 9(6) राज–6/2000/1 जयपुर दिनाँक 11.01.2008 एवं RRD 1969 पेज 539 व 2011(2) RRT 1068 की प्रतियां भी पेश की गई है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं तहसीलदार सोजत तथा इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया मातहत अदालत द्वारा प्रकरण बाबत अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को बेदखल करने हेतु दर्ज कर कार्यवाही की गई उसी में अप्रार्थी के हक में नियमन कर दिया गया है जो कदापि न्यायोचित नही है राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नियमितिकरण के प्रावधान ही नही है। ऐसी स्थिति में किया गया नियमन एवं जारी आदेश शुन्य दस्तावेज है इस प्रकार के शुन्य (null & void) दस्तावेज के विरूद्ध अपील में म्याद का बिन्दु बाधक नही होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है वकील अपीलाण्ट का यह तर्क भी मान्य नही है कि अपीलार्थी व्यथित पक्षकार नही है क्योकि सार्वजनिक भूमि में अतिक्रमण से कोई भी व्यक्ति व्यथा हो सकती है एवं उक्त व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है जैर अपील आदेश अन्तर्गत धारा 91 राज भू राजस्व अधिनियम के किया गया है जिसमें मात्र अतिक्रमित आराजी से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने व जुर्माना एवं पश्चातवृति अतिक्रमी को सिविल कारावास के सजा दिये जाने का प्रावधान है नियमितिकरण का प्रावधान नही है जैर अपील प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पत्रावली में ही नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिये जो जो विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। हमने वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र क्रमांक प.9(6)राज–6/2000/2 जयपुर दिनांक 31.01.2006 एवं इसी क्रम में जारी पूर्व परिपत्र दिनांक 16.10.2001 परिपत्र क्रमांक प 6(71)राज (ख)71 दिनांक 27. 05.1976 के अनुसार प 9 (6) राज. 6/2000/1 जयपुर दिनांक 10.1.2013 एवं इसके पूर्ववृति परिवत्र 9(6)राज 16/2000/2 दिनांक 30.01.2006 प 9(6) राज 6/2000/14 दिनांक 31.07.2001 एवं दिनांक 16.10.2001 के अनुसार अतिक्रमणों के सभी नियमन उन्ही शर्तो और निर्बन्धनों पर किया जायेगा जो दिनांक 18.02.1955 से 01.07.1975 तक किए अतिक्रमणों के नियमन पर लागु है तथा परिपत्र क्रमांक प.6(17) राज./ख/71 दिनांक 3.7.1971 तथा परिपत्र क्रमांक 46(10 राज/4/77 दिनांक 23.04.1977 में उल्लेखित है मातहत अदालत की पत्रावली में रेस्पोडेण्ट द्वारा बाडा नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत ही नही किया गया ऐसी स्थिति में परिपत्रों में उल्लेखित निर्बन्धनों का भी पालन नही किया गया जो एक प्रक्रियात्मक त्रुटि भी है ऐसी स्थिति में जैर अपील नियमन को यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार सोजत द्वारा जैर अपील प्रकरण अनवान सरकार बनाम किशनसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.10.1977 को निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेण्ट किशनसिह वगैरा का जैर अपील आराजी पर यदि पूराना कब्जा होता है तो उसके आधार पर आवेदन करने पर राजस्व ग्रुप विभाग के परिपत्र क्रमांक 6(17)राज/ख /71– पार्ट दिनांक 9.2.1976 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार सोजत एवं रेस्पोडेण्ट स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 27-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:46 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली